कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्याः1509/आब0लि0/ व्यवस्थापन /ई–लाटरी/ 2018–19 दिनांकः16,फरवरी 2018

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये देशी शराब ,विदेशी मदिरा,बीयर, की फुटकर बिकी की दुकानों व माडल शाप्स के अनुज्ञापनों के व्ययवस्थापन हेतु आश्यक सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 07–/2018/ई–2/तेरह–2018–46/2016 दिनांक 25–1–2018 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु देशी शराब विदेशी मदिरा, बीयर, की फुटकर दुकानों एंव माडल शाप्स का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अर्न्तगत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
पारदर्शिता,निष्पक्षता एंव सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रदेश के समस्त जनपदों में देशी शराब ,विदेशी मदिरा,बीयर, की फुटकर बिकी की दुकानों व माडल शाप्स के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन ऑन–लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। किसी दुकान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब विदेशी मदिरा, बीयर,एंव माडल शाप्स) कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नही की जायेगी।

किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित आवेदक के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अर्न्तगत ऑन–लाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे।दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस भी ऑन–लाइन ही जमा की जायेगी, साथ ही प्रोसेसिंग फीस पर देय वैट/जी0एस0टी0 भी नियमानुसार ऑन–लाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों द्वारा ऑन–लाइन फीस जमा नही की जायेगी तथा निर्धाति प्रारूप में शपथ पत्र पैन कार्ड,गत वर्ष की आयकर विवणिका व हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नही की जायेगी उनके आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे।

आवेदन के साथ नियमानुसार बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 5000/–)के समतुल्य धरोहर ऑन लाइन जमा की जायेगी, जो जनपद के जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी के भा0 स्टैट बैंक के खाता संख्या 37528104429 में जमा होगी तथा असफल आवेदको को धरोहर धनराशि की वापसी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जायेगी। चयनित आवेदकों द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि आवंटित दुकान की देय बेसिक /लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। ई–लाटरी से संबधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseonline.in के अतिरिक्त जनपद की वेबसाइट www.barabanki.nic.in पर भी प्रदर्शित किया गया है।

ई–लाटरी हेतु अन्य दिशा–निर्देश

1–ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नं0 एंव उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी।
2–आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एंव पासवर्ड उसके मोबाइल नं0/ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।
3–उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एंव पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकते है। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिये कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एंव नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा।
4–पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा,बियर एंव मॉडल शाप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम एम0जी0क्यू0 बेसिक लाइसेंस फीस ,लाइसेंस फीस धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
5–किसी दुकान के लिये वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन के लिये तैयारी कर सकता है। देशी मदिरा,विदेशी मदिरा,बियर एंव मॉडल शाप्स की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस,जी0एस0टी0 की धनराशि अर्हताओं आदि का विवरण भी उसको पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना आवश्यक है।